न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 11/2024 जी0सी0एम0एस0 सं0 2024/13

1. अलोली पत्नि नाथू जाति बैरवा निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीया

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. कैलाशी पुत्री हगामीलाल जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. घनश्याम पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. गुलाब पत्नि छीतर जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. राधेश्याम पुत्र छीतर जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. जडाव पत्नि हगामीलाल जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. ओमप्रकाश पुत्र बालू जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. दशरथ पुत्र बालू जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. भगवती पत्नि जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. महावीर पुत्र हगामीलाल जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
11. भंवरलाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
12. रतनलाल पुत्र छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
13. रामप्रसाद पुत्र छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
14. रामपाल पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
15. रामेश्वरलाल पुत्र छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
16. लादू पुत्र मूला जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
17. शंकरलाल पुत्र भैरूलाल जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
18. शंकरलाल पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
19. सुरज्या पुत्री हगामीलाल जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

20. सीताराम पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
21. सोहनलाल पुत्र छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थितः— श्री राहुल आचार्य प्रार्थी अधिवक्ता
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 11.02.2025

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लामगरा पटवार हल्का लामगरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापोनरी तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा सख्या 295 रकबा 0.46 हैक्ट प्रार्थीया की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आने—जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने—ले जाने हेतु सिवायचक खसरा सख्या 292 रकबा 1.03 हैक्ट0 किस्म बारानी 3 व अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा संख्या 293 रकबा 0.71 हैक्ट किस्म बारानी 3 खसरा 294 रकबा 0.83 हैक्ट0 किस्म बारनी—3 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थीया को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। जिसे अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में अवरूद्ध कर प्रार्थीया को अनावयश्क परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थीया की भूमि पर आने—जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 20 फीट चौड़ा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। नोटिस तामीली बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने के परिणाम स्वरूप अप्रार्थी सं. 01 लगायत 06 लगायत 12, 14 व 16 लगायत 20 के विरूद्ध दिनांक 21.01.2025 एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 04, 05, 13, 15 व 21 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता दिये जाने में अनापत्ति प्रस्तुत की। पैरोंकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक खसरा भूमि 292 हेतु तहसीलदार भिनाय द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई हैं। तहसीलदार भिनाय द्वारा प्रस्तुत जवाब मय मौका रिपोर्ट की एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी गई। पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई।

पत्रावली में बहस पक्षकार सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता दिये जाने बाबत् निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट के अनुसार कथन किये गये तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम दुरी का है और इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। सिवायचक खसरा भूमि 292 हेतु तहसीलदार भिनाय द्वारा कोई आपत्ति

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

प्रस्तुत नहीं की गई हैं। साथ ही स्वीकार किया गया है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि जाने हेतु रास्ता खसरा नं 293 व 294 में से होकर ही जाता है। जिसकी डी.एल.सी. दर 258255/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई हैं। उभय पक्षकारों को सूना गया। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है तथा प्रांर्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम दुरी का है और इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। इसलिये निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की दौगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। अतः खसरा नं. 292 में से 728 वर्गमीटर (91 मीटर लम्बा व 8 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 25.825 रू प्रति वर्गमीटर राशि (दौगुनी) 37600/– रू. एवं खसरा नं. 293 में से 456 वर्गमीटर (114 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 25.825 रु. प्रति वर्गमीटर राशि (दौगुनी) 23560/– रू. तथा खसरा नं. 294 में से 472 वर्गमीटर (118 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 25.825 रु. प्रति वर्गमीटर राशि (दौगुनी) 24380/– रू. अर्थात कुल राशि 85540/– रू. (अक्षरे पिचासी हजार पांच सौ चालीस रूपये मात्र) मुकर्रर की जाती है। प्रार्थीया द्वारा सिवायचक भूमि हेतु राशि राजकोष में जमा कराई जावे एवं तहसीलदार भिनाय को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को अपने–अपने हिस्से अनुसार मुकर्रर राशि प्रार्थीया से दिलवाई जाकर रसीद प्राप्त की जावे। प्रार्थीया अलोली पत्नि नाथू जाति बैरवा खातेदार के लिये ग्राम लामगरा पटवार हल्का लामगरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापोनरी तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 292 में से 728 वर्गमीटर एवं खातेदारी खसरा नं. 293 में से 456 वर्ग मीटर एवं 294 में से 472 वर्गमीटर भूमि प्रार्थीया के उपवर्णित खातेदारी भूमि तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को नियमानुसार उनके राजस्व नक्शें में दर्शित रास्ते की नियमानुसार तरमीम कर इन खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय(अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय(अजमेर)

CamScanner